पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जानें

मौलिक अधिकार

पुलिस सुधार : अति महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय

यह पुस्तिका मल्टिपल ऐक्शन रिसर्च ग्रुप (मार्ग) द्वारा कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) के लिए तैयार की गयी है। यह पुस्तिका पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने नामक श्रृंखला का एक भाग है।

सी.एच.आर.आई. एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र, गैर–लाभकारी, गैर–सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने को बढ़ावा देना है। **सी.एच.आर.आई.** मानवाधिकार मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है और मानवाधिकार मानदंडों के अधिक अनुपालन की वकालत करता है और अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.humanrightsinitiative.org को देखें।

मार्ग, निर्धनों और सीमान्त समूहों से सम्बन्धित सामाजिक कानूनी मुद्दों पर कार्य करती है। मार्ग ने, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 1985 में अपनी स्थापना के समय से ही विधि के सरलीकरण के लिए व्यापक स्तर पर और नीति निर्माण के स्तर पर विधि और इसके क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया है। मार्ग की शक्ति शहरी और ग्रामीण समुदाय के विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर निम्नतम स्तर पर सतत् सम्पर्क में निहित है।

अनुसंधान और आलेख	:	सुश्री आभा जोशी, एग्जक्यूटिव डायरेक्टर, मार्ग
परियोजना समन्वयक	:	डा. दोएल मुकर्जी
अनुवादक	:	श्रीमती शालिनी भूषण
आवरण अवधारणा और लेआउट/अभिकल्प	:	श्री रंजन कुमार सिंह और डा. दोएल मुकर्जी
रेखांकन	:	श्री सुरेश कुमार
मुद्रक	:	मैट्रिक्स, नई दिल्ली

मैं कौन हूं ?

जब मैंने स्कूल में दाखिला लेने का प्रयास किया यह बात उन्होंने मुझसे पूछा (हालांकि मैं एक लड़की हूं.....) **"तुम स्कूल जाने वाली होती कौन हो?"** फिर जब मैंने स्थानीय राशन वाले से पूछा कि वह लोगों को राशन क्यों नहीं दे रहा है तो उसने मुझसे पूछा कि मैं हूं कौन? एक बार मैंने पुलिस से कहा कि वह बिना किसी कारण मेरी रिक्शा नहीं ले जा सकते। फिर वही बात – **तुम हो कौन?**

मैं अली हूं या फिर मैं गीता हूं। कभी–कभी लोग मुझे कल्लू बुलाते हैं। मैं जॉन, लक्ष्मी, रज़िया, छोटू, गुड़िया, दादा, ताम्बी, डॉक्टर साहब ..... के नाम से भी जाना जाता हूं .....। लेकिन मैं जो कोई भी हूं या फिर मैं जहां कहीं भी हूं कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे प्रसन्न करती है और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे दुखी करती है। जब मैं छोटा बच्चा था मेरी मां सबसे पहले मेरे भाई को मिठाईयां देती थी और यदि कुछ बच जाता तब वो मुझे देती थी। मैं रोया करती थी। अब मैं एक कंस्टर्क्शन साइट पर काम करती हूं। मेरा मालिक मेरे साथी मजदूरों से मुझे कम तनख्वाह देता है। मैं दुःखी महसूस करती हूं। जब मैं बच्चा था मैं एक छोटे से शहर में एक साबून फैक्टरी में काम करता था (मैं छोटू हूं)। मैं हर दिन 16 से 18 घंटे काम करता था। मेरे सारे हाथ में जख्म थे। मैं दूसरे मजदूरों के साथ पटरियों पर सोता था। रात में पुलिस आती और हमें डंडों से मारती और हमसे पैसा मांगती। हम उनके लिए कुछ पैसे बचाकर रखते ताकि अपने को बचा सकें।

मैंने यह जगह छोड़ी और वापस अपने गांव आ गया जो जंगल के अन्दर है। यहां मैं पांडू हूं, मेरे पास एक छोटा खेत है जो पीढ़ियों से हमारे पुरखों के पास रहा है। मेरे पास मुर्गियां हैं, एक बकरा है और मेरा एक छोटा परिवार है। यहां जिन्दगी बेहतर है। लेकिन पुलिस यहां भी आती है और पैसे मांगती है। एक दिन कलेक्टर के ऑफिस से एक अधिकारी आया और हमसे हमारी जमीन खाली करने को कहा क्योंकि यह सरकारी सम्पत्ति है। सरकार ने जंगल के इस भाग को बंद करने का निर्णय लिया है क्योंकि हम आदिवासी जंगल को बर्बाद कर रहे हैं और जंगल को हमसे बचाना है। सरकार जंगल को हमसे बचाने जा रही है।

मैं सुखविंदर हूं। मैं दिल्ली में एक झुग्गी में रहता हूं और आटोरिक्शा चलाता हूं। यहां मकान का किराया काफी अधिक है और यहां रहने वाले ज्यादातर लोग किराए पर मकान नहीं ले सकते। परन्तु सरकार कहती है कि हम जैसे लोगों को सस्ते मकानों में पुनर्वासित करने की उनकी नीति है ताकि हम भी शहर में रह सकें और जीवन यापन कर सकें। परन्तु अब वे कहते हैं कि वे इस जगह से दुकानों को हटाने जा रहे हैं क्योंकि सड़क बनाया जाना है। आस–पास के लोग कहते हैं कि यह जगह हमारी नहीं है हमने अतिक्रमण किया हुआ है और हमें वापस अपने गांव चले जाना चाहिए। पंजाब का रहने वाला मेरा पड़ोसी फैज़ प्लम्बर है और बांके राम सिक्युरिटी गार्ड है। हम यहीं के हैं और यहां हमारी जरूरत है। पुलिस यहां अक्सर आती है और हमें ठीक से रहने को कहती है, **अन्यथा.....**

मैं अक्सर यह सोचता हूं – ये सारी घटनाएं **मेरे साथ ही** क्यों घटती हैं और कभी–कभी मैं सोचता हूं कि शायद मुझे इसका उत्तर मालूम है। गरीबों के साथ हर वक्त मालिक द्वारा इसी तरह बर्ताव किया जाएगा और कल्लू? उसके साथ अच्छा बर्ताव कब किया गया? उसका परिवार चमड़े का व्यापार करता है। वे लोग पीढ़ियों से मोची हैं। कल्लू को अपने परिवार पर गर्व है। उसे कालेज की डिग्री हासिल है और वह एक बैंक में काम करता है। फिर भी अपने गांव में कल्लू गांव के हैंडपंप का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और न ही मंदिर में प्रवेश कर सकता है (चूंकि कल्लू को बात करने की

अनुमति नहीं है इसलिए उसकी और से मैं बोल रहा हूं) लेकिन जब मैं अपने चारो ओर देखता हूं तो पाता हूं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब ही भुगत रहे हैं! मुझे – रमेश को देखो जो एक कालेज में पढ़ाता है। मैं स्थानीय पार्टि की आलोचना करते हुए अक्सर लेख लिखता हूं। मैं सड़क, पानी, कूड़े जैसी समस्या पर चर्चा के लिए अक्सर नागरिकों की बैठकें आयोजित करता हूं। एक दिन पुलिस मेरे घर आयी और कहा कि मेरे खिलाफ एक शिकायत है। जब मैंने पूछा कि शिकायत क्या है, तब उन्होंने कहा कि मुझे थाने आना होगा। वहां पुलिस ने मुझे मारा–पीटा, मुझे पूरे दो दिन वहां बंद रखा, और उन्होंने मुझे चेतावनी देकर छोड़ा कि मुझे अपनी गतिविधियां बंद करनी होगी। मेरे पिता डरे हुए हैं और उन्होंने मुझे अपनी गतिविधियां बंद करने और एक साधारण नागरिक के रूप में रहने को कहा है।

और यही मैं हूं – एक साधारण नागरिक।

विधि सम्मत् कानून

ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जो साधारण नागरिक को प्रभावित करती है। क्यों लोग असहाय हैं? क्या कुछ व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार करने और मनमानी करने की अनुमति है क्योंकि वे शक्तिशाली हैं। क्या कोई तरीका नहीं है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और नागरिक सुरक्षित हों?

सभी व्यक्ति **विधि सम्मत़ कानून** द्वारा सुरक्षित हैं। इसका अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। कानून इसे सुनिश्चित करता है। **कानून का अर्थ है एक मानदंड जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका प्रत्येक व्यक्ति को अनुपालन करना अनिवार्य है।**

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसी की हत्या करना गैर–कानूनी है। परन्तु यह कानून है जो निर्णय लेता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए। कानून ही निर्णय लेता है कि कौन सा कृत अपराध है और उसके लिए क्या और किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। कोई अन्य व्यक्ति यह निर्णय नहीं ले सकता है और न ही किसी दूसरे तरीके से यह कार्य किया जा सकता है।

- किशन की एक बड़े मकान मालिक दत्तु के साथ लड़ाई होती है। दत्तु की हड्डी टूट जाती है। दत्तु के भाई किशन को दंड देने के लिए उसे पीटना चाहते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे भी अपराध करेंगे।

सिर्फ अदालत ही किशन को दंड दे सकती है।

- पुलिस ने किशन को बुरी तरह पीटा है क्योंकि वह समझती है कि उसने अपराध किया है। अगर वह ऐसा करती है तो वह भी अपराध करती है क्योंकि कानून पुलिस को अनुमति नहीं देता है कि वह किसी व्यक्ति को पीटे चाहे अपराध भी क्यों न किया गया हो। कानून पुलिस को सिर्फ अपराध की जांच करने और संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने तथा उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और तब अदालत कोई निर्णय लेगी।
- पुलिस दत्तु के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है क्योंकि वह एक बड़ा मकान मालिक है। पुलिस सिर्फ इस आधार पर निर्णय लेने से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि कानून सभी के लिए समान है। चाहे वह अमीर हो, गरीब हो या शक्तिशाली हो।
- एक वरि□ मंत्री पुलिस को किशन के खिलाफ जांच को रोकने का आदेश देता है। पुलिस जांच को नहीं रोक सकती क्योंकि कानून किसी भी व्यक्ति को पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है चाहे वह बड़ा अधिकारी, राजनीतिज्ञ या कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों न हो।
- अदालत किशन को आजीवन कारावास का दंड देती है। अदालत ऐसा नहीं कर सकती। किशन को सिर्फ ऐसा दंड दिया जा सकता है जिसकी कूनन में अनुमति है।

ये सभी बातें मिल–जुलकर विधि सम्मत कानून कहलाती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति तुम और मैं, मकान मालिक और किराएदार, किसान और जमीन का मालिक, पुलिस और नागरिक, मंत्री और जनता हम सभी को कानून के अनुसार व्यवहार करना है।

विधि सम्मत् कानून कैसे सुनिश्चित किया जाता है?

हमारे देश में विधि सम्मत् कानून को देश की एक मूलभूत विधि से सुनिश्चित किया जाता है जो सभी व्यक्ति पर बाध्यकारी है। इस विधि को भारत का संविधान कहते हैं और सभी व्यक्ति को इसी के अनुसार कार्य करना है। यहां तक कि विधि निर्माता भी अपनी इच्छा से कानून नहीं बना सकते यदि यह विधि सम्मत् कानून के खिलाफ है।

विधि सम्मत् कानून के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं।

अनुच्छेद 12:

परिभाषा – इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ''राज्य'' के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान–मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

अनुच्छेद 13:

मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां –

(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''विधि'' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है;

(ख) ''प्रवृत्त विधि'' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान–मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनायी गयी विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है।

[1] (4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।

मेरे मौलिक अधिकार क्या हैं?

मैं बुरा क्यों महसूस करता हूं जब मेरे साथ असमान व्यवहार किया जाता है?
मैं बुरा क्यों महसूस करता हूं जब कोई व्यक्ति मुझे प्रताड़ित करता है?
मैं बुरा क्यों महसूस करता हूं जब मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने नहीं दिया जाता है?
मैं बुरा क्यों महसूस करता हूं जब मुझे उस जगह जाने से रोका जाता है जहां मैं जाना चाहता हूं?

क्योंकि मैं एक मनुय हूं। समान व्यवहार पाना, भय और दबाव से मुक्त होना और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाना कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक मनुय होने के नाते मुझसे मौलिक रूप से जुड़ी हैं। इसलिए वे सभी चीजें जो किसी मनुय के लिए आधार है मुझे **अधिकार** के रूप में सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है तो इसका अर्थ है कि अन्य व्यक्ति को कुछ कार्य करना चाहिए या कुछ कार्य नहीं करना चाहिए।

यदि मैं कहता हूं कि इस मकान पर मेरा अधिकार है तो इसका अर्थ है कि अन्य सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे मेरे इस मकान के स्वामित्व में। इसके कब्जे में और इसके उपभोग में दखल न दें। यदि आप किसी बस में सफर के लिए टिकट खरीदते हैं तो बस ड्राइवर/कंडक्टर का यह कर्तव्य है कि वह आपको बस में बैठने और सुरक्षित यात्रा करने दे।

इस प्रकार हमारे पास ऐसे अनेक अधिकार हैं जो भिन्न माध्यमों से राज्य सरकार और अन्य व्यक्तियों को कुछ अधिकार सौंपते हैं।

इनमें से ऐसे अनेक अधिकार हैं जिनके बगैर हम एक समुचित जिन्दगी नहीं जी सकते हैं और इसीलिए ये अधिकार किसी व्यक्ति के लिए **मौलिक अधिकार** हैं और यही कारण है कि **कोई भी व्यक्ति यहां तक कि सरकार भी** ये अधिकार नहीं छीन सकती।

भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। विभिन्न मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से दर्ज है। ये अधिकार इस प्रकार हैं:–

- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14, 15, 16, 17)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23, 24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25, 26, 27, 28)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29, 30)
- इन सभी अधिकारों की उच्चतम न्यायालय से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 32)

समता का अधिकार

नत्थु एक माली के रूप में काम करता है। एक दिन उसने एक वरिष्ठ अधिकारी श्री राम प्रकाश के घर से एक साइकिल चुराया। श्री राम प्रकाश ने पुलिस बुलायी और नत्थु को गिरफ्तार करवाया। पुलिस ने उसे मारा–पीटा और उसे हथकड़ी लगाकर थाने ले गए। पुलिस ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है क्योंकि नत्थु ने एक वरिष्ठ अधिकारी के घर चोरी की है।

कुछ दिनों बाद पुलिस श्री राम प्रकाश के घर आयी क्योंकि उनकी पत्नी ने शिकायत की थी कि उन्होंने उसे काफी पीटा था और उनका हाथ तोड़ दिया था। पुलिस ने उसकी पत्नी को कहा कि यह एक पारिवारिक मामला है और उन्हें यह मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेना चाहिए। वे राम प्रकाश के खिलाफ बिना कोई कार्रवाई किए चले गए।

पास–पड़ोस के कुछ लोगों ने पूछा कि पुलिस ने राम प्रकाश की पत्नी के बारे में कुछ क्यों नहीं किया। क्या यह मामला नत्थु द्वारा साइकिल चोरी किए जाने वाले मामले से अधिक गंभीर नहीं था? पुलिसकर्मी ने कहा, "नत्थु जैसे निर्धन और नीचे तबके के व्यक्तियों के साथ काफी कड़ाई से निपटना होता है क्योंकि ऐसे लोग अक्सर अपराध करते हैं। दूसरे मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल था। इसके अलावा हम महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि इस तरह की घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं।"

» विधि द्वारा समान व्यवहार आधारभूत अधिकारों में से एक है। किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ इसलिए अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह गरीब या अमीर है, शक्तिशाली या कमजोर है, महिला है या पुरु□ है या किसी विशे□ जाति का है या शहर या गांव का है आदि–आदि।

» चोरी एक अपराध है, लेकिन नत्थु को हथकड़ी में नहीं ले जाय जा सकता क्योंकि सिर्फ खतरनाक अपराधी, जो भाग जा सकते हैं, को ही हथकड़ी लगाया जा सकता है। खतरनाक अपराधी से अलग अपराधियों को हथकड़ी लगाना भेदभाव है अर्थात् एक कठोर कार्यवाही है जिसकी कानून द्वारा अनुमति नही है।

» पुलिस द्वारा अपनायी प्रक्रिया कानून के अनुरूप ही होनी चाहिए न कि किसी व्यक्ति के अनुरूप।

» विधि सम्मत् कानून द्वारा शासित समाज में कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है और यही कारण है कि ''राय बहादुर'', ''राजा साहब'' आदि जैसी पदवियां सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाती है। समता भी अब छुआछूत के लिए दंड का एक कारण है।

» कभी–कभी कानून अलग–अलग व्यक्तियों के साथ अलग–अलग व्यवहार करता है लेकिन इसकी अनुमति है, क्योंकि यदि उनके साथ समान व्यवहार किया जाता है तो इससे अन्याय होगा। उदाहरण के लिए कानून पुलिस को बाल अपराधियों के साथ अलग व्यवहार करने की अनुमति देता है क्योंकि बच्चों की समझ–बूझ कम होती है और उनके साथ व्यस्क अपराधियों के समान व्यवहार करना उनके लिए नुकसानदायक होगा।

टनुच्छेद 14:

विधि के समक्ष समता – राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15:

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध –

(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर –

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानामें में प्रवेश, या

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य–निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राजय को सामाजिक और शैक्षित दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के हिन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 16:

लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता –

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, उद्‌भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

3(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन परिणामिक वरिष्ठता के साथ सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदो पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

5(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक् वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो या उपबंध करती है किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।

अनुच्छेद 17:

अस्पृश्यता का अंत – ''अस्पृश्यता'' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ''अस्पृश्यता'' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

स्वतंत्रता का अधिकार

प्रत्येक नागरिक को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। इन स्वतंत्रताओं के बगैर कोई भी व्यक्ति न तो जीवित रह सकता है और न ही पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। ये मौलिक स्वतंत्रता इस प्रकार हैं :–

- बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध सचरण की स्वतंत्रता
- भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
- व्यापार या कारबार करने की स्वतंत्रता
- संघ बनाने की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक और बगैर अस्त्र–शस्त्र के एकत्र होने की स्वतंत्रता

इनमें से प्रत्येक स्वतंत्रता केवल कुछ सीमा तक ही सीमित हैं और यह सीमा भी संविधान द्वारा विनिर्धारित की गई है। इस प्रकार की विनिर्धारित सीमा भी समुचित प्रकार की होनी चाहिए।

रमेश और लक्ष्मी कॉलेज में सहपाठी हैं। वे शहर के एक स्लम में काम करते हैं और अक्सर वहां की खराब स्थिति के बारे में लेख लिखते हैं। वे विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में भी चर्चा करते हैं। एक बार उन्होंने नगर निगम के कार्यों में भ्रष्टाचार के बारे में एक इश्तेहार बांटा। पुलिस उनके घर आयी और कहा कि वे उनके घर की तलाशी लेना चाहते हैं और उन्होंने तलाशी में कुछ लिखित सामग्री जब्त की।

यह उनके बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार और भावना को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। यह अधिकार लोकतंत्र में और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जनता सर्वोपरि होती है।

अतः नागरिकों के लिए सभी चीजों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना अनिवार्य है। जनता भाषण दे सकती है, लेख लिख सकती है, गाने गा सकती है और सरकार के हस्तक्षेप के बगैर अपनी पसंद के नाटकों का मंचन कर सकती है। यहां तक की सरकार की आलोचना भी इस स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। इस स्वतंत्रता पर सीमा तभी लगायी जा सकती है यदि इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि रमेश और लक्ष्मी इश्तेहार बांटना चाहते हैं जिसमें यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार से निबटने का एक ही तरीका है कि कुछ अधिकारियों पर शारीरिक प्रहार किया जाए और सरकारी सम्पत्ति नष्ट की जाए तो उन्हें रोका जा सकता है। इस स्वतंत्रता को सार्वजनिक नैतिकता, स्वास्थ्य आदि के आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है।

इसी प्रकार, सरकार लोगों को अपनी पसंद के जगहों की यात्रा करने या वहां रहने से रोक नहीं सकती। कभी–कभी वह कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे कि यदि किसी क्षेत्र में कुछ सुरक्षा की समस्या है या वहां पर्यावरण को सुरक्षित रखना है या किसी विशेष जगह के नागरिकों की सुरक्षा करनी है। और यही कारण है कि कुछ जगहों को पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सभी नागरिक जमीन नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है ताकि उनसे उनकी जमीन और जीवन यापन के साधान न छिन जाए।

लोग अपनी पसंद के व्यवसाय और व्यापार अपना सकते हैं जिसमें कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए किसी विशेष व्यवसाय के लिए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर का व्यवसाय नहीं अपना सकता है यदि उसके पास निर्धारित डिग्री

नहीं है, कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उस तस्करी या स्वापक और नशीली औ□धी जैसे गैर कानूनी व्यापार करने का अधिकार है।

मनु□य एक समाजिक प्राणी है और वह समान हितों का समूह बनाता है। सरकार इसे तब तक नहीं रोक सकती जब तक कि उन्हें गैर–कानूनी प्रयोजनों के लिए नहीं बनाया जाए। कभी–कभी लोग अपने अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए मजदूर संघ जैसे समूह बनाते हैं। वे सामूहिक विरोध और हड़ताल कर सकते हैं। यह एक गैर–कानूनी प्रयोजन नहीं हो सकता है हालांकि कभी–कभी उनके हड़ताल को गैर–कानूनी घो□ित किया जा सकता है।

उसी प्रकार, लोग बैठक आयोजित करने, धरना–प्रदर्शन, आदि के लिए इक्ट्ठा होने के लिए स्वतंत्र है परन्तु इस स्वतंत्रता का उपयोग शांतिपूर्वक और निःशस्त्र किया जाना चाहिए। सरकार कुछ नियम बना सकती है और सीमाएं निर्धारित कर सकती हैं ताकि लोग अपनी और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा और सुविधाओं के अनुरूप अपनी बैठकें और सम्मेलन आयोजित कर सकें। लेकिन किसी भी मामले में सरकार लोगों को बैठकें आयोजित करने से रोक नहीं सकती यदि बिना किसी कानूनी आधार के पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उन्हें रोका जाता है या उन पर प्रहार किया जाता है तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

प्रत्येक समाज में आर्थिक या सामाजिक कारणों से कुछ लोग या समूह कमजोर होते हैं। उनके कमजोर होने के कारण अन्य व्यक्तियों द्वारा जो मजबूत स्थिति में होते है उनका शोषण होता है। शोषण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या समूह को उसकी कमजोर स्थिति के कारण कुछ भी करने के लिए मजबूर करना। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने सभी नागरिकों को शोषण से बचाए और यही कारण है कि राज्य ने शोषण से सुरक्षा के इस मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है।

जगबंधू उड़ीसा में एक भूमिहीन मजदूर है। वह और उसका परिवार किसी अन्य व्यक्ति के खेत में काम करते हैं। उन्हें सिर्फ जीवन यापन के लिए ही अनाज मिलता है। उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता है। जब कभी उन्हें खर्च के लिए पैसे की जरूरत होती है उन्हें जमीन के मालिक से कर्ज लेना होता है। तब जमीन का मालिक उन्हें कहता है कि वे उनके नौकर हैं लेकिन उन्हें बगैर किसी भुगतान के काम करना है क्योंकि उन पर काफी कर्ज है। यह स्थिति पीढ़ियों तक चलती है। जगबंधू और उसका परिवार काफी गरीब है और उसे वे

सभी काम करने होते हैं जो मालिक कहता है।

गुड्डू और मिठ्ठू फिरोजाबाद में रहते हैं। उनका परिवार निर्धन है उन्हें एक शीशे की फैक्टरी में काफी कम वेतन पर नौकरी मिली है। प्रतिदिन घंटों कार्य के दौरान उनके सांस में शीशे के धूल–कण जाते हैं, उन्हें कम भोजन और आराम मिलता है और जिसके कारण उनका फेफड़ा प्रभावित हुआ है और वे काफी कमजोर और बीमार हो गए हैं।

जिन परिस्थितियों में जगबंधू, गुड्डू और मिठ्ठू रहते हैं यह ''शोषण'' की परिस्थिति है और एक मनुष्य के रूप में यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अतः सकार ने नियम बनाया है जो ऐसी प्रथाओं को रोकता है और उन्हें दंडनीय बनाता है। इस प्रकार शोषित व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए अनेक कानून हैं जैसे कि : ''बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनिमय, 1976''; ''बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1976''; ''सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955'' आदि।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

प्रत्येक नागरिक को अपनी पसन्द के धर्म का अनुपालन करने और अपने धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लोगों को धार्मिक संस्थान स्थापित करने और निर्बाध धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है।

यह स्वतंत्रता वित्तीय और धार्मिक कार्यकलापों जैसी कतिपय चीजों के लिए सरकार द्वारा विनियमित की जा सकती है। कभी–कभी सरकार इस आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है कि धार्मिक गतिविधियां जन स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं में जो सरकार की सहायता से चलती हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिबंध है।

सिक्खों ने देश के अनेक भागों में गुरूद्वारा स्थापित किए हैं यह उनका मौलिक अधिकार है।

रीता मंदिर में पूजा करती है और फातिमा प्रतिदिन नमाज पढ़ती है, मार्ग्रेट प्रत्येक रविवार को चर्च जाती है और क्रिसमस का त्यौहार मनाती है।

इन सभी तीन व्यक्तियों को ऐसा करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कोई भी कानून उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता और न ही उन्हे ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है, यदि वे नहीं चाहें।

एक धर्म का पंथ कहता है कि इसके अनुयायियों को भगवान को प्रसन्न करने के लिए छोटे बच्चों की बलि देना चाहिए।

यह जन नैतिकता के खिलाफ हैं और इसे सरकार द्वारा रोका जाएगा।

मुस्लिम समुदाय के एक समूह की कब्रगाह के मसले पर दूसरे समूह से अक्सर झड़प होती है जिसमें नियमित रूप से लोक अशांति की समस्या उत्पन्न होती है।

धर्म की स्वतंत्रता के उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा यदि सरकार कब्रगाह को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करती है।

किसी सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूल में बच्चों को प्रतिदिन पूजा करने के लिए मजबूर किया जाता था। जो इनकार करते थे उन्हें स्कूल से निष्कासित करने की धमकी दी जाती थी।
यह कानून के विरुद्ध है और यदि बच्चे या उनके अभिभावकों ने शिकायत की तो स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

किसी भी मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके जीवन का संरक्षण है और यही कारण है कि यह राज्य की किसी भी कार्यवाही, जो इस अधिकार को वापस लेता है, के खिलाफ सुरक्षित सभी अधिकारों में सबसे मौलिक अधिकार है। दूसरी बात कोई भी व्यक्ति एक सम्पूर्ण और सार्थक जिन्दगी जीने के लिए चाहता है कि उसके जीवन में किसी भी प्राधिकारी का हस्तक्षेप न हो।

पुलिस एक साइकिल की चोरी के मामले में बंडू को गिरफ्तार करती है और उसे थाना ले जाती है। वह उसे इतनी बुरी तरह पीटती है कि वह मर जाता है।

पुलिस नाहिदा को पूछताछ के लिए थाना बुलाती है और वहां काफी घंटे रोक कर रखती है।

जैकब एक अपराध के लिए जेल में था जिसके लिए उसे तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी गयी थी। जेलर अक्सर उससे जेल में कठिन परिश्रम करवाता था और उसे खाना नहीं देता था।

खड़क लाल पर कुछ आपराधिक गतिविधियां करने का संदेह है। उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं

अनुच्छेद 21:	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण – किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

किया गया है फिर भी पुलिस उसकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखती है। वह दिन और रात बेसमय उसके घर जाती रहती है और उसके अते–पते के बारे में उसके परिवार से प्रश्न पूछती रहती

है।

नगर–निगम ने एक विशेष क्षेत्र की बस्तियों की इस कारण से सफाई करनी बंद कर दी कि वहां केवल गरीब लोग रहते हैं और वे कर का भुगतान नहीं करते हैं। स्वच्छता की कमी के कारण वहां अनेक बच्चे बीमार हो रहे हैं।

एक बड़े फैक्टरी से हमारे पड़ोस में धुआं और कालित्व से प्रदूषण हो रहा है परन्तु संबंधित विभाग ने इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। इसके कारण हम बीमार हो रहे हैं और हमें श्वास की बीमारी हो रही है।

सरकार के खनन विभाग द्वारा कुछ मजदूरों को रोजगार दिया गया है तथा उनसे बड़े खराब और खतरनाक स्थिति में काम करवाया जाता है जहां वे अक्सर जख्मी होते हैं और उनका अंग–भंग होता है। कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं और न ही उन्हें कोई चिकित्सा सहायता दी जाती है या मुआवजा दिया जाता है।

इन सभी परिस्थतियों में आम बात क्या है?

इन सभी परिस्थतियों में इन सभी व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो इस प्रकार कानून के उल्लंघन की अनुमति दे। यदि कोई भी सरकारी व्यक्ति ऐसा काम करता है जो इस प्रकार लोगों के अधिकारों को छीनता है तो उस व्यक्ति को कानून द्वारा दंड दिया जा सकता है तथा उस व्यक्ति को उसे मुआवजा देने के लिए कहा जा सकता है जिसकी जीवन और स्वतंत्रता छीन ली गयी है अथवा उसमें बाधा डाला गया है।

हम सभी जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास मौलिक शिक्षा भी नहीं होती है तो उस व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता काफी निम्न होती है। शिक्षा की कमी व्यक्ति को और शोषण के लिए मजबूर करती है। इसके

अतिरिक्त यदि बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो वे एक अच्छा जीवन जी पाते हैं और वे अपने कम उम्र में मजदूरी करने से बच जाते हैं। लेकिन चूंकि अनेक लोग निर्धन और पिछड़े होते हैं वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। परन्तु यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए यह छह से चौदह वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार कहते हैं।

अनुच्छेद 21क : शिक्षा का अधिकार – राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को इस तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा कि राज्य विधि द्वारा विनिर्धारित करे।

अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उपचार

सरकार काफी शक्तिशाली होती हैं। इसे अनेक परिस्थतियों से निपटना होता है और इस प्रक्रिया में वह कभी–कभी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो लोग क्या कर सकते हैं?

यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस संबंध में अनेक उपचार उपलब्ध हैं। हम उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल मामला दायर कर सकते हैं जिसने अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसके लिए हम अपने जिला न्यायालय में जा सकते हैं जहां प्रक्रिया काफी लम्बी और खर्चीली है। कभी–कभी जब विधि के अंतर्गत उल्लंघन अपराध होता है तो हम आपराधिक मामला भी दर्ज कर सकते है। परन्तु ऐसा करना कठिन होता है क्योंकि हमें पुलिस की प्रक्रिया से गुजरना होता है। परन्तु याद रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामलों में, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है हम सीधे उच्च न्यायालय और यहां तक कि भारत के उच्चतम न्यायालय तक भी जा सकते हैं और न्यायालय हमें राहत देगा। वास्तव में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि उल्लंघन के मामले में उच्चतम न्यायालय की सहायता लेने का अधिकार भी स्वयं में एक मौलिक अधिकार है।

प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। यह आमतौर पर राज्य की राजधानी में स्थित होता है। कभी–कभी कुछ न्यायाधीश किसी अन्य शहर में भी बैठते हैं ताकि उन तक पहुंचना लोगों के लिए आसान हो। इसे उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहते हैं। उच्चतम न्यायालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय किसी भी अधिकारी को, यहां तक कि उच्चतम अधिकारी को भी आदेश दे सकते हैं। इस आदेश को ''रिट'' कहते हैं। जब हम भी इन अदालतों में ऐसे आदेश जारी करने के लिए आवेदन देते हैं तो इसे रिट याचिका जारी करना कहा जाता है।

अनेक लोगों के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जाना कठिन हो सकता है। ऐसे मामलों में वे निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:–

- अपने जिले या राज्य की विधिक सेवा प्राधिकरण मे ंजा सकते हैं और सहायता की मांग कर सकते हैं
- ऐसे व्यक्ति या संगठन से मिल सकते हैं जो केस दायर करने में आपकी सहायता के लिए तैयार हो अथवा आपकी ओर से केस दर्ज करेगा
- अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करते हुए आपके द्वारा सामना किए उल्लंघन का उल्लेख करते हुए एक पत्र लिख सकते हैं।

आप उस पत्र में सावधानीपूर्वक सभी संगत तथ्यों और अपना नाम और पता आदि का अवश्य उल्लेख करें। यदि न्यायालय यह पाता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह उस व्यक्ति से स्पटीकरण मागेंगा जिसने उल्लंघन किया है। समुचित जांच के पश्चात उस व्यक्ति को राहत दी जाएगी जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

इस **"पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने"** श्रृंखला में निम्नलिखित पुस्तिका शामिल है :

- प्रथम सूचना
- गिरफ्तारी और रोक
- पुलिस पूछताछ
- विधिक सहायता सेवा
- अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम
- जमानत
- मौलिक अधिकार

गृह मंत्रालय
मानवाधिकार विभाग
भारत सरकार